

अध्याय III

अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने हेतु उन्नत तकनीक का अपनाया जाना

सारांश

- पांच वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी गौण खनिजों के लिए खनन निगरानी प्रणाली अब तक लागू नहीं की गयी है (दिसंबर 2022)।
- गूगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेयर का उपयोग कर 202 उत्खनन पट्टों के प्लॉटिंग किये जाने पर ज्ञात हुआ कि आठ प्रकरणों में, खुदाई किये जाने के कारण बने गड्ढे, उत्खनन पट्टों के स्वीकृत निर्देशांकों/सीमाओं के बाहर थे और 40 प्रकरणों में, पर्यावरण स्वीकृति एवं उत्खनन योजना की शर्तों के अनुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर वृक्ष नहीं लगाए गए थे। आगे, कवर्धा जिले में, स्वीकृत लीज क्षेत्र के अलावे 15 स्थानों पर गड्ढे पाए गए।
- तकनीकी सलाहकार के माध्यम से कराए गए ड्रोन सर्वेक्षण की मदद से लेखापरीक्षा ने रायपुर जिले में स्वीकृत सीमा के बाहर चूनापत्थर का अवैध खनन (धनसुली, नरदहा एवं अकोलडीह-खपरी), नवा रायपुर में अनाधिकृत स्थल पर मुरुम का अवैध उत्खनन एवं कुम्हारी में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के बाहर रेत का अवैध उत्खनन, जो 85,544.65 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली थी, का पता लगाया। खनिजों के अवैध उत्खनन की मात्रा 2,83,061.94 घन मीटर आंकी गई थी।

3.1 उन्नत तकनीकों का परिचय

राज्य खनिज नीति (2013 में संशोधित) में अवैध उत्खनन का पता लगाने के लिए उच्च रिजॉल्यूशन उपग्रह डाटा के उपयोग की परिकल्पना की गई थी। उच्च तकनीक का उपयोग कर खनन गतिविधियों की निगरानी की जा सकती है, जैसा कि मुख्य खनिजों के लिए अपनाया गया है। इसमें राज्य में अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने के लिए खनन निगरानी प्रणाली (ख.नि.प्र.) का विकास, भौगोलिक सूचना प्रणाली (भौ.सू.प्र.) का उपयोग और ड्रोन सर्वेक्षण शामिल हो सकते हैं। राज्य में गौण खनिजों के संदर्भ में ख.नि.प्र. के कार्यान्वयन की स्थिति तथा भौ.सू.प्र. और ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए चयनित उत्खनन पट्टों पट्टों के लेखापरीक्षा विश्लेषण के परिणामों की चर्चा निम्नलिखित कड़िकाओं की गयी है।

3.1.1 गौण खनिज पट्टों के लिए खनन निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन न किया जाना

भारत सरकार (भा.स.), खान मंत्रालय ने देश में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली, ख.नि.प्र. का शुभारम्भ किया (अक्टूबर 2016)। इस प्रणाली का उद्देश्य स्वचालित रिमोट सेंसिंग डिटेक्शन तकनीक से मुख्य खनिज के पट्टों के लिए अवैध खनन गतिविधियों की घटनाओं पर अंकुश लगाकर उत्तरदायी खनिज प्रशासन की एक व्यवस्था स्थापित करना है जो मौजूदा खनन क्षेत्रों के आसपास किसी भी खनन जैसी गतिविधि के लिए ट्रिगर¹ प्रदान कर सकता है। मुख्य खनिज पट्टों के लिए ख.नि.प्र. के सफल कार्यान्वयन के बाद, गौण खनिज पट्टों के लिए भी ख.नि.प्र. को

¹ ख.नि.प्र. में सम्मिलित खनिज पट्टों के 500 मीटर जोन के भीतर अवैध उत्खनन की घटनाएं।

लागू करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में गौण खनिज पट्टों के लिए ख.नि.प्र. के कार्यान्वयन हेतु, भारत सरकार, खान मंत्रालय ने भू-संदर्भीकरण और डिजिटलीकरण पर ख.नि.प्र. के राज्य नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ शासन (सं.भौ.ख.) तथा राज्य रिमोट सेंसिंग एजेन्सी अर्थात् छत्तीसगढ़ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद (छ.वि.प्रौ.प.) के अधिकारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया (जुलाई 2017)। बाद में, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 24.73 लाख की कुल लागत पर 120² खानों के लिए ख.नि.प्र. के कार्यान्वयन के लिए छ.वि.प्रौ.प. को नियुक्त किया (नवंबर 2017)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ख.नि.प्र. के कार्यान्वयन के लिए डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) के माध्यम से खान/उत्खनन पट्टों के सीमा स्तंभों के भू-निर्देशांकों के सर्वेक्षण और रिकॉर्डिंग, भू-नियंत्रण बिंदुओं के आधार पर गौण खनिजों के पट्टों के भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण और भू-संदर्भीकरण, उपग्रह चित्रों पर निर्देशांकों का अधिरोपण, आदि की आवश्यकता है। हालांकि, विभाग ने सही भू-संदर्भीकरण के लिए खानों/खदानों के निकट डीजीपीएस द्वारा सर्वेक्षण किये गये जमीनी नियंत्रण बिंदुओं को विकसित नहीं किया था। लेखापरीक्षा छ.वि.प्रौ.प. द्वारा किये गये कार्य की प्रगति तथा गुणवत्ता सत्यापित नहीं कर सका, क्योंकि प्रारंभ में 120 खानों के लिए ख.नि.प्र. के कार्यान्वयन के लिए छ.वि.प्रौ.प. को सौंपे गये कार्य की प्रगति के अभिलेख बार-बार अनुरोध³ के बावजूद लेखापरीक्षा को प्रदाय नहीं किये गये थे।

डीजीपीएस द्वारा सर्वेक्षित भू-नियंत्रण बिंदुओं का विकास न करने एवं डीजीपीएस के गैर मानकीकरण के संदर्भ में शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि प्रत्येक जिले में योग्य सर्वेक्षक/ड्राफ्ट्समैन की भर्ती की आवश्यकता होगी। ख.नि.प्र. के कार्यान्वयन में विलंब के संदर्भ में शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि छ.वि.प्रौ.प. ने इसरो से उपग्रह डाटा प्राप्त करने के बाद भू-संदर्भ और डिजिटाइजेशन कार्य किया और ट्रिगर उत्पन्न किये। सत्यापन के लिए ट्रिगर संबंधित जिलों को प्रेषित किये गये थे। हालांकि, सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि खसरा मानचित्र में दिखाए गए खानों की सीमाओं का स्थान निर्देशांक के साथ मेल नहीं खाता था और स्थल पर स्थानांतरण देखा गया था। इस तकनीकी त्रुटि के कारण सत्यापन प्रक्रिया में विलंब हो रहा था।

तथ्य यह है कि गौण खनिजों के लिए खनन निगरानी प्रणाली को राज्य में अभी तक सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाना शेष है।

अनुशंसा :

6. विभाग गौण खनिजों के लिए खनन निगरानी प्रणाली को अतिशीघ्र लागू करे।

3.1.2 भौगोलिक सूचना प्रणाली (भौ.सू.प्र.) के अनुप्रयोग के आधार पर निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने चयनित नौ जिला खनि अधिकारियों से उत्खनन पट्टों के निर्देशांक प्राप्त किए और गूगल अर्थ प्रो सोफ्टवेयर पर 202 उत्खनन पट्टों के निर्देशांक प्लॉट किया।

इन निर्देशांकों को प्लॉट करने के बाद लेखापरीक्षा ने निम्नानुसार पाया:

- सात जिलों के अंतर्गत 40 प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने पर्यावरण स्वीकृति एवं उत्खनन योजना की शर्तों के अनुसार पट्टा क्षेत्र के चारों ओर कोई वृक्षारोपण नहीं पाया।
- चार जिलों के अंतर्गत आठ प्रकरणों में उत्खनन पट्टों के आसपास स्वीकृत निर्देशांकों के बाहर गड्ढे पाये गये।

² 31 नये गौण खनिज और ग्रेनाइट का।

³ प्रधान महालेखाकार का विभाग को पत्र दिनांक 24 अगस्त 2021।

➤ कवर्धा जिले में, स्वीकृत लीज क्षेत्र के अलावा 15 स्थलों पर गड्ढे पाये गये। प्रेक्षकों की संक्षिप्त स्थिति नीचे तालिका-3.1 में दी गई है:

तालिका-3.1: निर्देशांक प्लॉट करने के बाद पाई गई अनियमितताओं का विवरण

जि.ख.अ. का नाम	कुल आबंटित पट्टों की संख्या	जांच किए गए प्रकरणों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्तियां	
			स्वीकृत निर्देशांकों के बाहर गड्ढे पाया जाना	वृक्षारोपण न किया जाना
दुर्ग	148	25	00	13
मुंगेली	31	07	01	01
कवर्धा	24	23	00	05
रायपुर	214	67	05	02
बलौदाबाजार	97	12	00	08
बिलासपुर	123	23	01	00
जांजगीर-चांपा	193	22	00	08
कांकेर	16	08	01	00
अम्बिकापुर	109	15	00	03
योग	955	202	08	40

इस प्रकार, पट्टेदार पर्यावरणीय स्वीकृति में परिकल्पित वृक्षारोपण के संबंध में नियमों एवं शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहे थे तथा उत्खनन योजना में अनुमोदित निर्देशांकों के बाहर उत्खनन कार्य कर रहे थे, लेकिन विभाग पर्यावरणीय स्वीकृति एवं उत्खनन योजना में परिकल्पित मानदंड के अनुपालन को लागू करने में विफल रहा, जैसा कि आगामी कांडिकाओं में चर्चा की गई है:

3.1.2 (i) उत्खनन योजना के मानदंडों का पालन न किया जाना (वृक्षारोपण न किया जाना)

पर्यावरणीय स्वीकृति/खनन योजनाओं में निर्धारित शर्तों के अनुसार, पट्टाधारकों को बैरियर जोन में वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य है। चालीस प्रकरणों में पर्यावरणीय स्वीकृति एवं खनन योजनाओं में दिए गए मानदंडों के अनुसार वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया था। इनमें से 33 पट्टे 2015 के पूर्व स्वीकृत किए गए थे एवं आठ पट्टे 2015 के बाद स्वीकृत किए गए थे।

उपरोक्त 40 में से 10 प्रकरणों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि सात प्रकरणों में कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया था तथा अन्य तीन प्रकरणों में आंशिक रूप से वृक्षारोपण किया गया था।

वर्तमान प्रकरण में यह देखा जा सकता है कि प.स्वी. एवं खनन योजना के अनुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया था। विभाग 2015 के बाद स्वीकृत पट्टों के मामले में भी प.स्वी. एवं खनन योजना की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सका।



चित्र-3.1 (क): ग्राम रानीजरौद, बलौदाबाजार 1.172 हे. में खान का उपग्रह चित्र, जहाँ कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया था। (फोटो दिनांक: मई 2021), स्रोत: गूगल अर्थ प्रो



चित्र-3.1 (ख): संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए उपरोक्त खान (चित्र-3.1 (क)) का चित्र, (फोटो दिनांक: सितंबर 2022)


3.1.2 (ii) स्वीकृत निर्देशांकों के बाहर गड़ढे

202 उत्खनन पट्टों में से, जिनके लिए लेखापरीक्षा ने संबंधित अनुमोदित योजनाओं में दिए गए निर्देशांकों को प्लॉट किया, चार जिलों के अंतर्गत आठ प्रकरणों में स्वीकृत निर्देशांकों के बाहर उत्खनन पट्टों के निकट गड़ढे पाये गये।

वर्तमान प्रकरण में यह देखा जा सकता है कि पटटेदार द्वारा खनन गतिविधि के कारण बनाए गए गड़ढे को उत्खनन योजना में स्वीकृत निर्देशांकों के बाहर तक बढ़ाया गया था (जैसा कि चित्र- 3.2(क), (ख) एवं (ग) में दर्शाया गया है))। उत्खनन पट्टे के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान गड़ढा पास के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत निर्देशांकों से आगे बढ़ा हुआ पाया गया।



चित्र-3.2 (क): स्वीकृत निर्देशांक के बाहर गड़ढा दिखाते हुए उपग्रह चित्र (खसरा संख्या 1960, क्षेत्रफल-0.971, ग्राम- नरदहा, तहसील- आरंग, जिला- रायपुर, लीज अवधि- 25. 09.2002 से 24.09.2032) फोटो दिनांक: अप्रैल 2021, स्रोत: गूगल अर्थ प्रो



चित्र-3.2 (ख): चित्र-3.2 (क) का खसरा मानचित्र



चित्र-3.2 (ग): संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए उपरोक्त खान (चित्र-3.2 (क)) का चित्र, (फोटो दिनांक: सितंबर 2022)


3.1.2 (iii) स्वीकृत पट्टों के अलावा अन्य क्षेत्रों में खनन गतिविधियां

निर्देशांक के वास्तविकता को सत्यापित करने और यह जांच करने के लिए कि क्या अनाधिकृत खनन गतिविधियां स्वीकृत निर्देशांकों के बाहर की जा रही थी, लेखापरीक्षा ने चयनित जिलों में से एक अर्थात् कवर्धा जिले में स्वीकृत सभी पट्टों के निर्देशांक की मांग की। जि.ख.अ. कवर्धा ने 28 पट्टों (मुख्य खनिज के पट्टों सहित) के निर्देशांक प्रस्तुत किए। लेखापरीक्षा ने उपग्रह चित्रों के माध्यम से इन सभी पट्टों के निर्देशांक "गूगल अर्थ प्रो" पर प्लॉट किए। निर्देशांक प्लॉट करने के बाद लेखापरीक्षा ने जिले में 15 स्थलों की पहचान की, जहाँ स्वीकृत पट्टों के अलावा अन्य क्षेत्रों में गडढे देखे गए (जैसा कि चित्र-3.3 (क) एवं (ख) में दर्शाया गया है)। यह स्वीकृत पट्टों क्षेत्रों के बाहर अनाधिकृत खनन गतिविधियों को इंगित करता है।

विभाग द्वारा अवैध खनन क्षेत्रों का पता न लगाने से अवैध खनन गतिविधियों में वृद्धि होगी और राज्य शासन को राजस्व की हानि होगी।

संकेतक:

- पीला – स्वीकृत पट्टे
- लाल – अनाधिकृत गड्ढे



चित्र-3.3 (क): स्वीकृत एवं अनाधिकृत गड्ढों का उपग्रह चित्र (फोटो दिनांक: मई 2020), स्रोत: गूगल अर्थ प्रो



चित्र-3.3 (ख): स्वीकृत एवं अनाधिकृत गड्ढों का उपग्रह चित्र (फोटो दिनांक: मई 2020), स्रोत: गूगल अर्थ प्रो

शासन ने कहा (जनवरी 2023) कि गौण खनिजों के मामले में पटवारी मानचित्र के आधार पर सीमांकन के बाद पट्टे स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 2015 के बाद गौण खनिज के मामले में भी खनन योजना के अनुसार कार्य किया जाना अनिवार्य किया गया था। जिसके बाद यदि स्वीकृत खनन योजना में दर्शाये गये निर्देशांक के मिलान में अनियमितता पायी गयी तो इसे मौके पर जांच एवं कार्यवाही के लिए जिला कार्यालयों को भेजा जाता है। इस संबंध में उचित सत्यापन के बाद ही खनन योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने आठ मामलों में पाया कि उत्खनन गतिविधियों के कारण निर्मित गडढे स्वीकृत निर्देशांक के बाहर थे, जो खनन योजना का उल्लंघन था। इसके अलावा, शासन ने पट्टों के बैरियर जोन में कोई वृक्षारोपण नहीं किए जाने और कवर्धा जिले में स्वीकृत पट्टों के अलावा अन्य क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

3.1.3 ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए उत्खनन पट्टों का लेखापरीक्षा विश्लेषण

202 उत्खनन पट्टों के गूगल अर्थ प्रो विश्लेषण एवं 40 उत्खनन पट्टों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के आधार पर, लेखापरीक्षा ने ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग कर अवैध खनन स्थलों की मैपिंग और मात्रा गणना के लिए सात उत्खनन पट्टों/स्थलों⁴ का चयन किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.प्रौ.सं.) रायपुर (तकनीकी सलाहकार) को इस उद्देश्य के लिए तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ड्रोन सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने विभागीय अधिकारियों सहित तकनीकी सलाहकार के साथ किया। तकनीकी सलाहकार ने स्वीकृत उत्खनन योजना में उल्लेखित निर्देशांकों के आधार पर ड्रोन सर्वेक्षण संपादित किया। तकनीकी सलाहकार की रिपोर्ट में चूना पत्थर की पांच में तीन खदानों और रेत खदान में गंभीर अवैध उत्खनन की पुष्टि हुई। इसके अलावा, ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करके अवैध रूप से उत्खनित मुरुम के क्षेत्रफल और मात्रा की भी गणना की गयी।

3.1.3 (i) मुरुम का अवैध उत्खनन

केन्द्र सरकार/राज्य शासन के किसी विभाग या उपक्रम/निजी कार्यों के लिए आवश्यक मुरुम के उत्खनन, हटाने और परिवहन के लिए नियम 58 के तहत दो वर्ष के लिए प्रदान की जाती है, और पंचायत के पोखरों/तालाबों, कुओं, जलाशयों या किसी अन्य खुदाई कार्य से प्राप्त मुरुम को हटाने/परिवहन करने की अनुमति छ.गौ.ख.नियम के नियम 59(1) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है।

जि.ख.अ. के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ खानों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान (अक्टूबर 2020 और अगस्त 2021 के मध्य) लेखापरीक्षा ने रिको गांव, नवा रायपुर और मूरा-तिल्दा क्षेत्र (जि.ख.अ., रायपुर) के पास वैध अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना विशाल मात्रा में मुरुम के निकासी और डंपिंग देखा (चित्र- 3.4 (क) एवं (ख))।

⁴ संयुक्त भौतिक सत्यापन में देखे गये नवा रायपुर में एक अवैध मुरुम उत्खनन स्थल, रायपुर जिले की एक रेत खदान और चूना पत्थर की पांच खदानें।



चित्र-3.4 (क): ग्राम रिको, नवा रायपुर के समीप अनाधिकृत मुरुम उत्खनन (फोटो दिनांक: अक्टूबर 2020)।




चित्र-3.4 (ख): ग्राम रिको, नवा रायपुर के समीप अनाधिकृत मुरुम उत्खनन (फोटो दिनांक: अक्टूबर 2020)।

लेखापरीक्षा ने तकनीकी सलाहकार की सहायता से नवा रायपुर में अवैध मुरुम उत्खनन स्थल का ड्रोन सर्वेक्षण कराया। जि.ख.अ. रायपुर के उत्तर के अनुसार यह देखा गया कि वर्ष 2015-16 से 2020-21 की अवधि में सड़क निर्माण कार्य (एन.एच. 200) में उपयोग हेतु मुरुम उत्खनन के मात्र तीन अनुज्ञापत्र⁵ दो वर्ष के लिए (06.12.2016 से 05.12.2018 तक) स्वीकृत किए गए थे। उत्खनन अनुज्ञा के स्वीकृत क्षेत्र ग्राम- नकटीखपरी, तहसील- तिल्दा (जिला- रायपुर) में स्थित थे। तकनीकी सलाहकार की रिपोर्ट से पता चला कि अवैध उत्खनन का कुल क्षेत्रफल 38,867.2 वर्ग मीटर था (चित्र- 3.5 में 1,2,3 के रूप में दर्शाया गया है) जिसमें वैध अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना

⁵ मे. पुंज लोएड, रायपुर

लगभग 99,528.78 घ.मी. मुरुम की खुदाई की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप शासन को प्रचलित रायल्टी का मूल्य ₹ 49.76 लाख⁶, के राजस्व की हानि हुई।



चित्र-3.5: रिको गांव, नवा रायपुर में अवैध मुरुम उत्खनन (ऊपर चित्र में 1, 2 और 3 के रूप में दर्शाया गया है) का ड्रोन चित्र (फोटो दिनांक: मई 2022)


3.1.3 (ii) रेत का अवैध उत्खनन

जि.ख.अ. के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ खानों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा और मुंगेली जिलों में स्वीकृत/अनुमत पट्टा क्षेत्रों के बाहर रेत के उत्खनन, परिवहन एवं डंपिंग देखा।


लेखापरीक्षा ने जि.ख.अ., रायपुर के अंतर्गत कुम्हारी के रेत खदान का ड्रोन सर्वेक्षण कराया। विभाग द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के प्रारंभ होने के पश्चात जि.ख.अ. द्वारा कुम्हारी में वर्ष 2019-21 की अवधि में केवल एक ही रेत खदान पट्टा स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत रेत खदान के खनन योजना में स्वीकृत निर्देशांकों का उपयोग करते हुए ड्रोन सर्वेक्षण कराया गया। तकनीकी सलाहकार की रिपोर्ट के अनुसार, स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र के बाहर बड़े क्षेत्र में अवैध उत्खनन किया गया था। उसमें से 5,759.45 वर्ग मीटर के क्षेत्र को ड्रोन कैमरे के माध्यम से मात्रा गणना के लिए कैद किया गया था, जिसमें देखा गया कि लगभग 2,958.04 घ.मी. रेत का अवैध उत्खनन किया गया था, जैसा कि चित्र- 3.6 एवं 3.7 में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 1.48 लाख⁷, प्रचलित रायल्टी का मूल्य, के राजस्व की हानि हुई।

⁶ रायल्टी = ₹ 50 x 99528.78 घ.मी. = ₹ 49,76,439

⁷ रायल्टी = ₹ 50 x 2958.04 घ.मी. = ₹ 1,47,902।



चित्र-3.6: आबटित पट्टा क्षेत्र के बाहर रेत उत्खनन को दर्शाता ड्रोन चित्र (कुम्हारी, खसरा क्रमांक 1882, फोटो दिनांक: मई 2022)



पिन	कुम्हारी 1	कुम्हारी 2	कुम्हारी 3	कुम्हारी 4
अक्षांश	21°04'43.99"N	21°04'42.84"N	21°04'38.11"N	21°04'38.96"N
देशांतर	81°58'44.26"E	81°58'53.62"E	81°58'52.59"E	81°58'43.31"E


चित्र-3.7: कुम्हारी, रायपुर, खसरा संख्या 1882, क्षेत्रफल- 4 हेक्टेयर, पट्टा अवधि- 30.12.2019 से 29.12.2021, में रेत खदान के स्वीकृत पट्टा क्षेत्र एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन को दर्शाने वाला चित्र।

3.1.3 (iii) चूना पत्थर उत्खनन पट्टों के स्वीकृत निर्देशांक के बाहर उत्खनन कार्य

लेखापरीक्षा ने जि.ख.अ., रायपुर के अंतर्गत पांच चूना पत्थर उत्खनन पट्टा स्थलों का ड्रोन सर्वेक्षण कराया।

धनसुली, नरदहा एवं अकोलडीह-खपरी, तहसील- आरंग, जिला- रायपुर में चूना पत्थर उत्खनन पट्टों हेतु तकनीकी सलाहकार की रिपोर्ट से निम्नानुसार ज्ञात हुआ :

- धनसुली में उत्खनन पट्टे के मामले में, पट्टेदार को खसरा संख्या 818, 870 एवं 871 (नवीन 913, 926, 927) में 1.19 हेक्टेयर⁸ में (चित्र-3.8 में बीच में लाल सीमा, वैध उत्खनन के रूप में वर्णित) उत्खनन पट्टा आबंटित किया गया था। हालांकि यह देखा गया कि स्वीकृत निर्देशांक के बाहर 15,831 वर्ग मीटर (1.583 हे.) क्षेत्र से (पीले रंग में चिन्हित) लगभग 57,750.27 घ.मी. चूना पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 68.96 लाख⁹, प्रचलित रायल्टी का मूल्य, की राजस्व हानि हुई।



चित्र-3.8: उत्खनन पट्टा सीमा और पट्टा क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन को दर्शाता ड्रोन चित्र (ग्राम-धनसुली, तहसील- आरंग, फोटो दिनांक: मई 2022)

- नरदहा में उत्खनन पट्टे के मामले में, पट्टेदार को खसरा संख्या 1997 (आंशिक) में 1.214 हेक्टेयर¹⁰ में उत्खनन पट्टा आबंटित किया गया था, जिसमें से लगभग 0.37 हेक्टेयर¹¹ का अन्वेषण नहीं किया गया था। हालांकि यह देखा गया कि


⁸ उत्खनन- 0.748, डंपिंग- 0.265, वैधानिक सीमा- 0.040, एवं वृक्षारोपण- 0.059।

⁹ 0.67 घ.मी. = 1 टन; 57,750.27 घ.मी. = 86,194 टन; रायल्टी = ₹ 80 x 86,194 टन = ₹ 68,95,520।

¹⁰ उत्खनन- 0.821, एवं डंपिंग- 0.393

¹¹ रा.प्रौ.सं. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर गूगल अर्थ प्रो का उपयोग करके गणना की गई।

स्वीकृत निर्देशांक के बाहर 13,892 वर्ग मीटर (1.389 हे.) क्षेत्र से लगभग 76,076.14 घ.मी. चूना पत्थर का अवैध उत्खनन (काले रंग में चिह्नित) किया गया था, जैसा कि चित्र-3.9 में दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 90.84 लाख¹², प्रचलित रायल्टी का मूल्य, की राजस्व हानि हुई।



चित्र-3.9: उत्खनन पट्टा सीमा और पट्टा क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन को दर्शाती झोन चित्र (नरदहा, तहसील- आरंग, जिला- रायपुर, फोटो दिनांक: मई 2022)


- अकोलडीह-खपरी, तहसील- आरंग के उत्खनन पट्टा के मामले में, पट्टेदार को खसरा संख्या 553/1 (आंशिक) में 1.052 हेक्टेयर¹³ में उत्खनन पट्टा आबंटित किया गया था, जिसमें से लगभग 0.5 हेक्टेयर¹⁴ का अन्वेषण नहीं किया गया था। हालांकि, स्वीकृत निर्देशांक के बाहर 11,195 वर्ग मीटर (1.120 हे.) क्षेत्र से लगभग 46,748.71 घ.मी. चूना पत्थर का अवैध उत्खनन (पीले रंग में चिह्नित) देखा गया, जैसा कि चित्र 3.10 में दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 55.82¹⁵ लाख, प्रचलित रायल्टी का मूल्य, की राजस्व हानि हुई।

¹² 0.67 घ.मी. = 1 टन; 76076.14 घ.मी. = 1,13,546 टन; रायल्टी = ₹ 80 x 1,13,546 टन = ₹ 90,83,680।

¹³ उत्खनन- 0.407, डंपिंग- 0.135, अस्थायी डंपिंग- 0.207, क्रशिंग प्लांट- 0.100, भण्डारण- 0.05, आधारभूत संरचना- 0.028, एवं अप्रयुक्त क्षेत्र- 0.125।

¹⁴ रा.प्रौ.सं. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर गूगल अर्थ प्रो का उपयोग करके गणना की गई।

¹⁵ 0.67 घ.मी. = 1 टन; 46748.71 घ.मी. = 69,774 टन; रायल्टी = ₹ 80 x 69,774 टन = ₹ 55,81,920।



पट्टा सीमा के निर्देशांक:

बिंदु संख्या	1	2	3	4
अक्षांश	21°17'29.24"N	21°17'29.38"N	21°17'22.33"N	21°17'22.45"N
देशांतर	81°46'39.11"E	81°46'41.13"E	81°46'39.89"E	81°46'38.72"E

चित्र-3.10: उत्खनन पट्टा सीमा और पट्टा क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन को दर्शाता ज़ोन चित्र (अकोलडीह-खपरी, तहसील- आरंग, फोटो दिनांक: मई 2022)

शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2022)।

अनुशंसा :

7. विभाग को खनन निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन तक अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने के लिए भौ.सू.प्र./ज़ोन सर्वेक्षण की व्यवहार्यता और उपयोग की जांच करनी चाहिए।